58

संख्या- /X-2-2013-12(32)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक 28 मई, 2013**

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "वनों की सुरक्षा" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्रांक नि-2081/3-5(रा0से0-वन सुरक्षा) दिनांक 26 अप्रैल 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत "**वनों की सुरक्षा**" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 69,30,000/- (₹ **उनहत्तर लाख तीस हजार मात्र**) व्यय किये जाने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा वन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का संक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व वन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय. धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त योजना की प्रगति तथा उददेश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एंव व्यय की जायेगी।
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वतरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
5. व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा वन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा वन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1305270409 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
14. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आंवटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-वन्य व्यय 13-00 वनों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0सं0	लेखा शीर्षक/योजना मानक मद का नाम	आय-व्ययक प्रावधान	शासन से पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष आय-व्ययक	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6
	अनुदान सं0-27				
	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन				
	01- वानिकी				
	800-अन्य व्यय				
	13-00-वनों की सुरक्षा				
	04-यात्रा व्यय	1000	0	1000	1000
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	400	0	400	400
	23-गुप्त सेवा व्यय	200	0	200	200
	25-लघु निर्माण	10000	0	10000	4500
	26-मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	200	0	200	0
	29-अनुरक्षण	750	0	750	330
	41-भोजन व्यय	500	0	500	0
	42-अन्य व्यय	500	0	500	500
	योग	13550		13550	6930

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ उनहत्तर लाख तीस हजार मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनॉक 30 मार्च, 2013 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

875
ख्या- (1)/X-2-2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **S1305270409**

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - **S1305270409**

आवंटन पत्र दिनांक - 28-May-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
00 - वनों की सुरक्षा हेतु अतिक्रमण रोकने के लिये सर्वे/बाउ

01 - वानिकी

13 - वनों की सुरक्षा योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	0	1000000	1000000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	400000	400000
23 - गृह सेवा व्यय	0	200000	200000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	4500000	4500000
29 - अनुरक्षण	0	330000	330000
42 - अन्य व्यय	0	500000	500000
	0	**6930000**	**6930000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 6930000